18 DEC 2014

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक
प्राप्ति सं० 5-2308
पत्रावली सं० 8-1(3)
दि० 19-12-14
उत्तराखण्ड-देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या– / X–2–2014–21(13)/2011
देहरादूनः दिनाँक : 18 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1927) की धारा 41,42,45, 51, 52 एवं 76 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (संशोधन)नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (संशोधन)नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 के नियम 5 के खण्ड (पांच) के पश्चात् एक नया खण्ड (छः) परन्तुक सहित निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(छः) वन क्षेत्र से एकत्र नदी तल सामग्री हेतु – ₹ 15 प्रति टन

परन्तु यह कि वन क्षेत्र से एकत्र नदी तल सामग्री का अभिवहन शुल्क भुगतान करने के पश्चात वन क्षेत्र से बाहर उक्त सामग्री के भण्डारण से पुनः अभिवहन करने अथवा उक्त सामग्री से स्टोन क्रशर से निकलने वाले उत्पाद के पुनः वन क्षेत्र से बाहर अभिवहन पर दुबारा अभिवहन शुल्क अधिरोपित नही किया जायेगा।"

1480
324
29/12/14

संख्या R.अक-2308/8-1(3) दि० 26-12-14
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
1- समस्त प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड,
2- समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक उत्तराखण्ड,
3- समस्त वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड,
4- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी उत्तराखण्ड,

आज्ञा से,

डॉ रणबीर सिंह
प्रमुख सचिव।

26.12.2014
अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून

श्री [illegible] को [illegible] वेबसाइट पर [illegible]

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "**the Constitution of India**", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no/1957/ x–2–2014–21(13) / 2011 Dated 18.12.2014 for general information.

Government of Uttarakhand
Forest and Environment Section-2
No./1957/ x–2–2014–21(13) / 2011
Dehradun : Dated :/8 December, 2014

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by section 41, 42, 45, 51, 52 and 76 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897, the Governor is pleased further to amend the Uttarakhand Transit of Timber and Other Forest Produce Rules, 2012 as follows; namely :-

THE UTTARAKHAND TRANSIT OF TIMBER AND OTHER FOREST PRODUCE (AMENDMENT) RULES, 2014

Short Title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Transit of Timber and Other Forest Produce (Amendment) Rules, 2014.

(2) It shall come into force at once.

Amendment or rule 5

2. After clause (v) of rule 5 of the Uttarakhand Transit of Timber and Other Forest Produce Rules, 2012, a new clause (vi) with proviso shall be inserted as follows, namely:–

"(vi) River bed material collected from forest areas- ₹ 15/ton

Provided that after payment of transit fee of river bed material from forest areas, no further transit fee shall be imposed on transit, of river bed material from stocks outside forest areas or products of stone crushers from such river bed material, outside forest areas "

By Order,

Dr. Ranbir Singh
Principal Secretary.

संख्या (1)/X–2–2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ ही उक्त अधिसूचना को आगामी असधारण गजट में प्रकाशित करते हुए मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संख्या 1957 (2)/X–2–2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव–मा0 वन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
5. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), उत्तराखण्ड देहरादून।
8. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, नैनीताल।
10. निदेशक, वन्य जीव संस्थान, भारत सरकार, चन्द्रबनी, देहरादून।
11. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तराखण्ड।
13. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल।
14. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
17. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ नैनीताल।
18. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
19. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेण्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय को इस आशय से कि इस विज्ञप्ति को इलैक्ट्रिक मीडिया तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित करने का कष्ट करें।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव